

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 1983/चैत्र 15, 1905

No. 48] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 1983/CHAITRA 15, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय

(श्रम विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1983

संख्या एस.-16025/3/82-एल. डब्ल्यू. .—भारत के राजपत्र (असाधारण)
के भाग 1, खण्ड 1 में तारीख 6 नवम्बर, 1982 को प्रकाशित संकल्प संख्या एस-
16025/3/82-एल. डब्ल्यू. तारीख 5 नवम्बर, 1982 के साथ पठित भारत के
राजपत्र (असाधारण) के भाग 1, खण्ड 1 में तारीख 15 जून, 1982 को प्रकाशित
श्रम मंत्रालय के संकल्प संख्या एस-16025/3/82-एल. डब्ल्यू., तारीख 14 जून,

1982 में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त संकल्प में क्रमांक 4 के समक्ष “श्री के. के. संयुक्त निवेशक, वित्त (स्थापना) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)” नई दिल्ली, शब्दों और अक्षरों को “श्री एस. एल. मुखर्जी, संयुक्त निवेशक, वित्त (स्थापना), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली” से प्रतिस्थापित किया जाए।

लक्ष्मीधर मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

RESOLUTION

New Delhi, the 5th April, 1983

No. S/16025/3/82-LW.—In partial modification of the Ministry of Labour Resolution No. S-16025/3/82-LW, dated the 14th June, 1982, published in Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-I, dated the 15th June, 1982 read with Resolution No. S-16025/3/82-LW dated the 5th November, 1982, published in Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section I, dated the 6th November, 1982, the Central Government makes the following amendments, namely :—

In the said Resolution against Serial No. 4 for the words and letters “Shri K. K. Mitra, Joint Director, Finance (Establishment), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi”—“Shri S. N. Mukherjee, Joint Director, Finance (Establishment), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi” may be substituted.

LAKSHMIDHAR MISHRA, Jt. Secy.